10.12.19

पत्रावली पेश हुई। वादी-अधिवक्ता अनुपस्थित। न्यायालय सभा में उक्त को बार-2 आवाजें दिलवाई गई। उपस्थित नहीं होने पर उनकी बाद अदम-हाजरी/अदम-पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल-शुमार नम्बर से कम हो। निर्णय सेर ईजलास सुनाया गया।

(पुष्पा खण्डेलवाल) अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2020.03.04 16:45:54 IST
Reason: SelfAttested